रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2014/फाल्गुन 30, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 268

No. 42] DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2014/PHALGUNA 30, 1935 [N.C.T.D. No. 268

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व–1) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 21 मार्च, 2014

सं. एफ. 3(11)/वित्त (क. एवं स्थाप.)/2009–10/डीएसVI/336.– दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप–राज्यपाल, मूल्य सवंर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रषासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थात् :–

क्रम सं.	अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती/कु.	कार्यभार की तिथि	पदनाम
1	एल. आर. गर्ग, (दानिक्स)	26.12.2013	विशेष आयुक्त मूल्य संवर्धित कर

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
NOTIFICATIONS

Delhi, the 21st March, 2014

No.F.3(11)/Fin(T & E)/2009-10/dsVI/336.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub- section (2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officer, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely:—

S.No.	*Name of the Officer Sh./Smt./Ms.*	*Date of physical joining in DT and T*	*Appointed as*
01.	Sh. L.R. Garg, DANICS	26.12.2013	Special Commissioner, Value Added Tax

सं. फा. 5(210)/सीएफ/2001–02/डीएस–VI/335.–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित चिट फंड अधिनियम, 1982 (1982 का 40) की धारा 74 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री वी. एस. रावत, विशेष आयुक्त (वैट) व्यापार एवं कर विभाग को इस अधिनियम के अधीन तत्काल प्रभाव से अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करते है। श्री वी. एस. रावत, विशेष आयुक्त (वैट) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चिट फंड अधिनियम, 1982 के लागू होने पर चिटों के संबंध में मद्रास चिट फंड अधिनियम, 1961 (1961 का मद्रास अधिनियम, 24) के अधीन निदेषक चिट्स को सौंपे गए कार्यों का भी निर्वहन करेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप–सचिव–VI (वित्त)

No.F.5(210)/CF/2001-02/DS-VI/335.— In exercise of the powers conferred by Section 74 of the Chit Fund Act, 1982 (40 of 1982) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the, Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby empowers Shri V.S. Rawat, Special Commissioner (VAT), Department of Trade & Taxes as Appellate Authority under the said Act with immediate effect. Shri V.S. Rawat, Special Commissioner (VAT) shall also discharge the duties imposed upon the Director of Chits under the Madras Chit Funds Act, 1961 (Madras Act 24 of 1961) in respect of chits in operation on the commencement of the Chits Fund Act, 1982 in the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-VI (FINANCE)

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 21 मार्च, 2014

सं. फा. 14(2)/एलए–2014/cons2law/28-36.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप–राज्यपाल की सहमति दिनांक 19 मार्च, 2014 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाषित किया जाता है :–

"दिल्ली विनियोग (संख्या 01) अधिनियम, 2014

(2014 का दिल्ली अधिनियम 01)

(14 फरवरी, 2014 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[19 मार्च, 2014]

वर्ष 2013–14 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से कुछ और राशि का भुगतान एवं विनियोजन प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त शीर्षक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2014 है।

372,00,00,000/– रुपयों का वर्ष 2013–2014 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए तीन सौ बहात्तर करोड रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2013–2014 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन ।

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

(धाराएं 2 व 3 देखे)

(रुपये हजारों में)

		राशि इससे अधिक नहीं		
मांग संख्या	सेवायें एवं उददेश्य	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधि पर भारित	जोड़
1	2	3	4	5
11	शहरी विकास एवं लोक निर्माण राजस्व	3720000	..	3720000
	जोड़ :	**3720000**	..	**3720000**

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFARIS
NOTIFICATIONS

Delhi, the 21st March, 2014

No. F.14(2)/LA-2014/ cons2law/28-36.— The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 19th March, 2014 and is hereby published for general information:—

"THE DELHI APPROPRIATION (NO.1) ACT, 2014
(DELHI ACT 01 OF 2014)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 14th February, 2014)

[19th March, 2014]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the Financial Year 2013-14

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 1) Act, 2014.

issue of Rs. 372,00,00,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2013-2014

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees three hundred seventy two crore only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2013-2014 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(Rs. in thousands)

DEMAND No.	SERVICES AND PURPOSES	Sums Not Exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2	3	4	5
11	Urban Development and Revenue Public Works	3720000	..	3720000
	Total :	**3720000**	..	**3720000**

सं. फां. 6/15/2012–न्याय/Suptlaw/370-373.– परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984, की धारा 4 द्वारा प्रदत्त एवं इस विषय में अधिकार प्रदान करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय की सहमति से, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों – श्री दिलबाग सिहं पुनिया (नियमित आधार पर) एवं श्री वी.के महेषवरी (ठीक नीचे के नियम के अंतर्गत) को परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984, की धारा 4 के तहत, प्रदत्त शक्तियों के साथ, उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

ए. एस. यादव, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

No.F. 6/15/2012-Judl./FC/Suptlaw/370-373.— In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Family Courts Act, 1984, and all other powers enabling him in this regard, the Lt. Governor of the NCT of Delhi, with the concurrence of the High Court of Delhi, hereby appoints, Mr. Dilbagh Singh Punia (on regular basis) and Mr. V.K. Maheshwari (under next below rule), officers of Delhi Higher Judicial Service, as Principal Judges, Family Courts, Delhi, with effect from the date(s) they take over, in terms of Section 4 of the Family Courts Act, 1984, with conferment of powers as such.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

A. S. YADAV, Principal Secy. (Law, Justice & LA)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.